P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-5* January2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

सुशील कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग
शिवपति पी0जी0 कालेज,
शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर,
उ0प्र0, भारत

सारांश

भारतीय लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था का मूल आधार पंचायती राज व्यवस्था ही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से ही रही है। विभिन्न कालों में इस व्यवस्था को अलग–अलग नामों से जाना जाता रहा है, ऋग्वेद में ग्राम प्रशासन का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। महाभारत काल में ग्राम का मुखिया ग्रामीक के नाम से सम्बोधित किया जाता था। मौर्य काल व गुप्त काल में इसे स्थानीय स्वशासन, सात वाहन काल में इसे स्थानीय शासन संस्थायें तथा चोलकाल में स्वायत ग्राम परिषद के नाम से सम्बोधित किया जाता था। इनको गणराज, नगर प्रशासन व्यवस्था तथा ग्राम स्वराज के नाम से भी जाना जाता रहा है। संविधान परिषद के अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद ने 10 मई 1948 को यह विचार प्रस्तुत किया कि संविधान का ढॉचा ग्राम पंचायतों तथा अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के अनुसार खड़ी की गयी मंजिलों पर आधारित होना चाहिए। डा0 अम्बेड़कर ने इसे अनुच्छेद 40 में सम्मिलित किया। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए अग्रसर होगें, उसे ऐसी शक्ति तथा अधिकार प्रदान करेंगे, जो उसके स्वायत शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। महात्मा गांधी ने में पंचायती राज व्यवस्था को शासन व्यवस्था का केन्द्र होने के साथ अत्मनिर्भर, स्वायत एवं स्वालम्बी होने की बात कही थी। पंचायत राज व्यवस्था की कल्पना को सकार रूप देने का प्रयास निरन्तर चलता रहा। बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। 73वें संविधान संशोधन के बाद में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना मेहता समिति की रिपोर्ट के आधारभूत सिद्धान्तों पर हुई। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान स्वीकार किया गया है, क्योंकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास में भागीदारी करने एवं सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किये जाते है, तो सर्वागीण विकास के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू ने कहा था कि यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं को जागृत करना होगा। एक बार महिलायें आगे बढ़ती है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गांव, शहर आगे बढ़ता है, सारा देश आगे बढ़ता है। नयी पंचायती राज व्यवस्था से पहले महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता सक्रियता एवं उनका प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था ने सामाजिक समता, न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं उनकी व्यापक भागीदारी को आवश्यक माना, ताकि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकें। 73वें संविधान संशोधन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसके अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलायें भी शामिल है। संविधान के 73वें व 74 वें संशोधन ने पंचायती राज एवं महिलाओं को नयी दिशा प्रदान की है। 33 प्रतिशत आरक्षण के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर दिया, जिसके फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनकर आयी है। स्पष्ट है कि पंचायती राज द्वारा महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में तो 33 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जिसके सकरात्मक परिणाम समाज में दिखायी पड़ रहे है।

मुख्य शब्द : महिला प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, राजनैतिक सहभागिता एवं राजनैतिक जागरूकता।

प्रस्तावना

किसी समाज को अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि हम उस समाज की नारी का अवलोकन करें, उसकी दशा को समझने का प्रयास करें। क्योंकि स्त्रियों की स्थिति किसी भी समाज का दर्पण होती है, अगर किसी देश के समाज की स्त्रियां शिक्षित, स्वतन्त्र, समृद्ध तथा प्रतिष्ठित है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि उस का समाज शिक्षित, स्वतन्त्र, समृद्ध तथा प्रतिष्ठित है। नारी का सम्मान करना उनके हितों की रक्षा करना हमारे देश की पुरानी संस्कृति है। वैदिक कालीन नारी का स्थान भारतीय समाज में गौरवपूर्ण रहा है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति प्रतिष्ठापूर्ण व सम्मानजनक रही है। गार्गी, मैत्रेयी लोपामुद्रा, जैसी स्त्रियां इस देश में थी जिन्होने विभिन्न संहितओं के निर्माण में सहयोग किया था। सदियों से ही भारतीय समाज में नारी की अत्यन्त महत्पूर्ण भूमिका रही है। उसने भारतीय समाज के निर्माण में अपना योगदान किया है। प्राचीन काल में स्त्रियों को अध्यात्मिक एवं सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण उन्हे घर से बाहर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था उनकी नैतिकता का स्तर भी ऊंचा था। विदुशी महिलायें समाज में दर्शानिक विचार विमर्श और तर्क वितर्क में भाग लेती थी परन्तु मध्यकाल तक आते आते स्त्रियों की दशा निम्न होती चली गयी। उन पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने लगें एवं विभिन्न निर्योग्यताये लगा दी गयी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यही नियम नारी भी लागू होता है। भारतीय समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हुए नारी संदर्भ में भारतीय समाज पर पाश्चत्य संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा, भारतीय नारी की दशा एवं दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क के कारण नारी जीवन में विविध बदलाव आये। चेतना के स्तर पर स्वामी विवेकानन्द, सामाजिक स्तर पर राजाराम मोहनराय एवं महात्मा गांधी ने अत्याधिक योगदान किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात डा0 अम्बेड़कर ने हिन्दू विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार करके भारतीय संविधान में स्त्रियों की दशा में सुधार एवं विकास के लिए स्त्रियों के अधिकारों की बात कही। सिद्धान्तः तो स्त्रियों को सभी अधिकार प्रदान किये गये किन्तु व्यवहार में यह देखा गया कि स्त्रियां आज भी पुरूषवादी सोच के द्वारा लागू की गयी निर्योग्यताओं का संत्रास झेल रही है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा एवं स्वतंत्रता के कारण नगरीय महिलाओं का स्तर सुधरा है परन्तु आज भी ग्रामीण स्त्रियां प्रदाप्रथा, अशिक्षा तथा कुरीतियों का शिकार है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है और उसकी आधी जनसंख्या महिलायें है। जिनकी स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है, जब तक समाज के आधे भाग का विकास नहीं होगा तब तक भारत का सर्वागीण विकास का सपना पूर्ण होना असम्भव है। देश के समुचित विकास के लिए महिलाओं को सशक्त करना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिला सामनता, कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण तथा लिंग न्याय को आधार मानते हुए महिलाओं की समुचित विकास की बात की है और यह मान्यता व्यक्त की है कि महिलाओं को पुरूषों के संदर्भ में समाज में राजनैतिक रूप से सशक्त किये बिना महिलाओं का समाज में समग्र, सम्पूर्ण एवं इच्छित विकास सम्भव नहीं है। परम्परागत रूप से भारतीय महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता लगभग नगण्य रही है। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था समाजिक सामनता, न्याय, आर्थिक विकास और व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने का एक प्रयास है। महिलाओं की निम्न स्थिति को देखते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय के अन्तर्गत विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को आवश्यक माना जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक दृष्टि से सशक्त भारत का निर्माण किया जा सकें। इसलिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी।

पंचायती राज से सम्बन्धित नीति निर्माताओं ने महिलाओं को राजनैतिक भागीदारी प्रदान करने हेतु संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को एक नयी दिशा दी। इससे लाभ यह हुआ कि जन सहभागिता का लाभ कमजोर व पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को मिला । महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया। 33 प्रतिशत महिलाओं की निश्चित भागीदारी ने आरक्षण के द्वारा महिलाओं को ग्राम पंयायतों व शहरी निकाय के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में 43 प्रतिशत तक महिला प्रतिनिधि चुनकर सशक्तीकरण के मार्ग की ओर अग्रसर हुई है। पंचायती राज मंत्रालय 27 मई 2004 से अस्तित्व में आया है, इसे पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और समृद्धि के लिए नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया। पंचायती राज मंत्रालय का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़े गये संविधान के खण्ड 9 के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए गया था। पंचायतों की वर्तमान में ग्राम स्तर पर 2,34,676, मध्यवर्ती पंचायतें 6097, जिला पंचायत 537 तथा कुल पंचायत संस्थायें 2,43,310 है। इन संस्थाओं में महिलाओं की संख्या और उनका प्रतिशत इस प्रकार है। जिला पंचायत में 41 प्रतिशत, मध्यवर्ती 43 प्रतिशत, और ग्राम पंचायत में 40 प्रतिशत है। इन पंचायतों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का कार्य किया जा रहा है, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, उनके लिए आरक्षित सीटों 33 प्रतिशत न्यूनतम सीमा से अधिक है। देश में पंचायतों के 22 लाख प्रतिनिधियों में से लगभग 9 लाख महिलायें है। तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59,000 से अधिक महिलायें अध्यक्ष है।

साहित्यावलोकन

नीरा देसाई (1957) ने कामकाजी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति एवं उनकी भूमिका का अध्ययन किया। प्रमिला कपूर (1990) ने अपने अध्ययन में पाया कि कामकाजी महिलाओं की वैवाहिक जीवन में उनके कार्य करने का कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं है तथा 1974 में एक अध्ययन शहरी शिक्षित महिलाओं का भी किया और पाया कि उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सम्बन्ध में

उनके रोजगार में पद एवं भूमिका से सम्बन्धित है। कमलनाथ एवं अन्द्रे मैनफी सिंह (1970) ने अपने अध्ययन में कहा कि महिलाओं की अधिकतम संख्या खेती श्रमिकों के रूप में है। महिलाओं की भागीदारी श्रम कार्यों में घट रही है तथा शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही है। नरसिम्हा रेड्डी (1975) ने पाया कि सुखाग्रस्त क्षेत्रों में निम्न स्तरीय सिचिंत साधन है। यहां कम वर्षा अनुपात और निम्न उत्पादन होता है वहां पर श्रमिकों की स्थिति भी निम्न बनी रहती है। ऐसी स्थिति में महिलाओं की कार्य शक्ति एवं आय परिवार को सहयोग करती है। वी0एम0 डान्डेकर (1982) ने पाया कि महिलाओं का आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी का स्तर निम्न इसलिए रहता है क्योंकि उन्हे घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी, बच्चों के पालन–पोषण की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता है। ए0आर0 गुप्ता (1982) ने पाया कि महिलाओं की निम्न दशा का कारण पारवारिक संरचना है, जिसमें महिलाओं की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेषतया युवा वर्ग की महिलायें अधिक प्रभावित होती है। स्वपन के0 सेठ (1985) ने लिखा है कि भारतीय महिलाओं का स्तर पिछले दो–तीन दशकों में ऊंचा उठा है। आगे वे कहते है कि महिलाओं का साक्षरता के स्तर में एवं रोजगार के स्तर में पुरूष की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। निसेन्दह समाज में महिलाओं के स्तर में वृद्धि हुई है। एम0एल0गोयल (1974) ने पाया कि पुरूष की तुलना में भारतीय महिलायें राजनीति में कम भागीदार रही है, केवल कुछ शिक्षित महिलायें भी सरकारी नीतियों से प्रभावित हुई है। इमतियाज अहमद (1975) कहते है कि राजनीति के क्षेत्र में भारतीय महिलायें अप्रत्यक्ष तरीके से सामाजिक संरचना के अनुसार है। ए0आर0 गुप्ता (1976) राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक प्रस्थिति इस सिद्धान्त का प्रतिबिम्ब है कि उन्हे किस स्तर तक स्वतन्त्रता दी गयी है तथा किन राजनैतिक गतिविधियों में भागीदार है। परन्तु महिलाओं की भागीदारी वास्तविक निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया में विफल हुई है। एस0एन0 मिश्रा (1977) ने अवलोकन किया कि पंचायत स्तर पर महिला नेतृत्व की अनुपस्थिति का मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना है। महिला एवं महिलाओं की गतिविधियों की प्रसार की सीमा गृह प्रबन्धन तक है। अतः हम कह सकते है कि पंचायत नेतृत्व में लिंग एक निर्धारक तत्व है। मणिकक्यम्बा पी0 (1981) ने उत्तर प्रदेश के उत्तरी गोदावरी जनपद में अध्ययन किया और पाया कि स्थानीय शासन ने महिलाओं की भागीदारी ग्राम पंचायत की बैठकों में बहुत कम है। रजिस्टर महिलाओं के घर पहुंचा दिये जाते है और वे उन पर अगूंठा लगा देती है। हेजेल डी लीमा (1983) ने महराष्ट्र में पंचायती राज संस्था में स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भूमिका अध्ययन किया। उन्होने जिला स्तर पर पंचायत स्तर पर महिला सदस्यों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठ भूमि एवं महिलाओं के सामाजिक उत्थान पर प्रकाश डाला । रामअहूजा (1985) ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया और पाया कि ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी राजनैतिक गतिविधियों एवं राजनीतिक जागरूकता में कम पायी गयी लेकिन महिलायें राजनीतिक गतिशीलता, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकती है। इसलिए महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षरण आवश्यक है।

अध्ययन का महत्व

भारत में पंचायतों की परम्परा प्राचीन काल से रही है। पारम्परिक पंचायतें झगड़ों का निपटरा स्थानीय स्तर पर करती थी परन्तु वर्तमान पंचायतें विकास कार्यों के निष्पादन के लिए स्थापित की गयी है। विकास कार्यों में नीति निर्धारण से लेकर कार्यक्रम बनाने उनके क्रियान्वयन करने के लिए सभी स्तरों पर जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 1995 से लोकतांत्रिक सत्ता एवं सत्ता के विकेन्द्रीकरण की संवैधानिक संस्था, ग्राम पंचायतों का गठन हो चुका है। ग्राम सभा में सम्मिलित सभी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए संरक्षणात्मक विभेदीकरण के सिद्धान्त पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, इसी सिद्धान्त के आलोक में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान किया गया है। जिसका उद्देश्य महिला नेतृत्व का विकास करना तथा महिलाओं में राजनीतिक गतिशीलता, राजनैतिक जागरूकता, निर्णय निर्धारण क्षमता का विकास करना तथा राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। महिला नेतृत्व पंचायती राज को कितना और किस दिशा में प्रभावित कर रहा है, यह जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

ग्रामीण स्तर पर सत्ता विकेन्द्रीकरण के लिये 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर 1995 में पहली बार चुनाव के द्वारा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया। ग्राम पंचायतें जिनका उद्देश्य ग्रामीण स्तर के सभी पक्षों के विकास को सुनिश्चित कर जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना था। ग्रामीण स्तर पर सभी वर्गों, जातियों एवं सभी जातियों, वर्गों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी। महिलायें पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भूमिका निर्वहन किस प्रकार करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, विकास सम्बन्धी क्षेत्रों में महिला किसी प्रकार निर्णय निर्धारण करती है तथा राजनैतिक प्रतिनिधित्व के साथ–साथ कितनी भागीदारी करती है आदि को जानने का प्रयास प्रस्तुत शोध पत्र किया गया है। यह शोध पत्र निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित है।

1. महिला प्रतिनिधियों का राजनैतिक परिवेश का अध्ययन
2. महिला प्रतिनिधियों का राजनैतिक सहयोगियों से सम्बन्ध का अध्ययन
3. महिला प्रतिनिधियों का विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के स्तर का अध्ययन

अध्ययन क्षेत्र

पूरी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र एवं नेपाल सीमा पर स्थित सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के चार गांव थरौली, दतरंगवा, पोखरभिटवा तथा करमा एवं शोहरतगढ़

तहसील के चार गां
मेहमुदवाग्रान्ट कुल 8 गां
द्वारा स्थापित महिला प्रातानाधया क नतृत्व, ानणय निर्धारण एवं सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन किया गया।

निदर्शन का चयन

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील नौगढ़ एवं शोहरतगढ़ के कुल 8 ग्राम पंचायतों में महिला ग्राम प्रधान पद को दृष्टिगत रखते हुए कुल 50 जनप्रतिनिधियों का किया गया एवं सम्बन्धित तथ्य एकांत्रित किये गये।

तथ्य संकलन की विधि

अध्ययन क्षेत्र में चयनित इकाईयों से साक्षात्कार अनुसूची द्वारा तथ्य संकलित किये गये, सूचनाओं का निरीक्षण व परीक्षण के लिए अवलोकन परिविधि का प्रयोग किया गया है।

शोध निष्कर्ष

1. पंचायत राजी व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण मिलने के कारण जिन ग्राम सभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है, ऐसी स्थिति में पुरूष उम्मीदवार नहीं बन सकते तब वे अपने परिवार की महिलाओं को चुनाव में उम्मीदवार बनाते है। ऐसी 60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पायी गयी जिनके परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में शामिल रहे है। जबकि 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि ऐसी पायी गयी जिनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में शामिल नहीं रहा है।
2. महिला प्रतिनिधि बनने के प्ररेणा स्रोत के रूप में 80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके पिता, पति, ससुर अथवा पुत्र आदि किसी न किसी परिवार के सदस्यों ने उम्मीदवार बनने के लिए प्रेरित किया। जबकि 10 प्रतिशत को राजनैतिक पार्टी के सदस्यों ने प्रेरित किया तथा 10 प्रतिशत ने स्वयं की इच्छा से चुनाव में प्रतिभाग किया।
3. भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बनने के विषय में पाया कि 100 प्रतिशत ग्राम प्रधानों ने भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए सहमति जताई जबकि ग्राम सभा सदस्यों में 81 प्रतिशत ने भविष्य में चुनाव लड़ने पर सहमति जताई ।
4. सभी महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि चुनाव में प्रचार परिवार के सदस्यों, जाति के सदस्यों तथा व्यक्तिगत पारवारिक समूह से जोड़े व्यक्तियों ने चुनाव प्रचार किया। चुनाव अन्तिम पड़ाव में महिलाओं ने समूह बनाकर चुनाव प्रचार किया।
5. महिला प्रतिनिधि बनने के पश्चात लाभ के बारे में बताते हुए सभी महिला प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्हे समाज में सम्मान मिला तथा विभिन्न नयी बातें सीखने को मिल रही है, साथ ही अपनी बात कहने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।
6. सभी महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं को राजनैतिक रूप से चेतन, सामाजिक रूप से जागरूक तथा अधिकारों के रूप में सशक्त बनाया है।
7. महिला प्रतिनिधियों के बोध का स्तर जानने के लिए प्रश्न पूछे गये तो पाया कि महिला प्रधान प्रतिनिधि सम्बान्धत आधकाारया का नाम जानता ह, जबाक ग्राम सभा सदस्य मात्र 50 प्रतिशत अधिकारियों के नाम जानती है।
8. गरीबी, रोजगार, ऋण, ऋण छूट, आवास, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी में पाया कि 75 प्रतिशत प्रधान प्रतिनिधि कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी रखते है, जबकि ग्राम सभा प्रतिनिधियों में केवल 50 प्रतिशत ही कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी रखती है।
9. महिला विकास कार्यक्रमों के विषय में महिला शिक्षा, सर्व शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, पोषाहार, मिड डे मिल, परिवार कल्याण, टीकाकरण, जच्चा–बच्चा संरक्षण आदि को सभी महिला प्रतिनिधियों ने श्रेष्ठ बताया है परन्तु इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीकों में सुधार के विषय में 75 प्रतिशित प्रधान प्रतिनिधियों ने ही अपने विचार अभिव्यक्त किये है, जबकि ग्राम सभा सदस्यों ने 50 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने अपने विचार अभिव्यक्त किये।
10. विकास अभियानों में 75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि पोलियो ड्राप पिलाने में, टीकाकरण, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जागरूकता कार्यक्रमों में पर्याप्त सहयोग करती है। 25 प्रतिशत प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि वे सहयोग करती है परन्तु सभी कार्यक्रमों में नहीं ।
11. विकास अभियान में योगदान के तरीकों में 100 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों बैठकों में भाग लेती है। 80 प्रतिशत प्रचार प्रसार करके जागरूकता के माध्यम से विकास अभियान में योगदान करती है।
12. महिला प्रतिनिधियों का पुरूषों के साथ काम करने के विषय में जानकारी में पाया कि 75 प्रतिशत महिला प्रधान प्रतिनिधियों ने बताया कि पुरूषों के साथ सम्बन्ध अच्छे है। महिला प्रतिनिधियों का यदि कोई ग्राम सभा सदस्य विरोध भी करता है तो विनम्र भाव से करते है।
13. प्रभावी व्यक्तियों के दबाव के विषय में महिला प्रधान प्रतिनिधियों में 75 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि पंचायत के निर्णयों में प्रभावी व्यक्तियों का दबाव रहता है। कभी कभी अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी करना पड़ सकता है।
14. महिला होने के कारण 75 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों को विकास कार्यो एवं पंचायत कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पंचायत में कार्य करने के तरीके, कार्य पद्धति एवं नियमों की पूर्ण जानकारी का अभाव एवं अनुभव की कमी प्रमुख है।
15. महिला प्रतिनिधियों में 75 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि उनके अधिकतम कार्य परिवार के सदस्यों की सहायता से होते है, घर से बाहर के सामुदायिक कार्य जागरूकता अभियान आदि के समय परिवार के सदस्य कार्य करने में सहयोग प्रदान करते है।

16. महिला प्रतिनिधियों में सभी ने यह स्वीकार किया कि पंचायत का प्रथम कार्य निर्माण कार्य, लोन दिलाना, हैण्ड पम्प लगवाना प्रमुख है।
17. महिला प्रतिनिधियों के जातिगत सम्पर्क में पाया कि 90 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि यह स्वीकारती है कि वे अन्य जातियों की महिलाओं से सम्पर्क रखती है। ग्राम पंचायत की बैठकों में सब के साथ उठना बैठना पड़ता है।
18. महिला प्रतिनिधियों में 80 प्रतिशत यह स्वीकार करती है कि उन्हे पर्याप्त प्रशासनिक सहयोग मिलता है। जबकि 20 प्रतिशत स्वीकार करती है कि उन्हे पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है।
19. सभी महिला प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया कि उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उनकी पंचायत सम्बन्धी कठिनाईयों का निराकरण करने का प्रयास किया जाता है।
20. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि उनकी बातों को भी ध्यानपूर्वक सुना जाने लगा है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था से पहले ऐसा सम्भव नहीं हो पाता था।
21. सभी महिला प्रधान प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि अब परिवार में भी उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। अब पारवारिक कार्यो में भी उनका निर्णयों का प्रभाव दिखायी देने लगा है। जबकि ग्राम सभा सदस्यों में केवल 50 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि पारिवारिक निर्णयों में उनको महत्व दिया जाने लगा है।

संदर्भग्रन्थ सूची

आलोचना 1995 : हू विल मेक कैपटीज, ऐ रिपोर्ट आफ वुमनस पंचायत इन महराष्ट्र

अहमद इमतियाज 1975 : वुमन इन पोलिटिक्स, इन द्विवेदी जैन (ed) इण्डियन वुमन, न्यू दिल्ली प्रकाशन पृ0 312

देसाई नीरा 1957 : वुमन इन मार्डन इण्डिया, बोम्बे वोरा एण्ड कं0

देसाई ए.आर. 1969 : रूरल सोशियोलाजी इन इण्डिया, बम्बे पोपुलर प्रकाशन

गोयल एम.एल.1974 : पोलिटिकल पार्टीशिपेसन इन ए डवलपिंग नेशन इण्डिया, एशिया प्रकाशन हाउस बोम्बे पृ0 89–98

गुप्ता ए.आर. 1976 : वुमन इन हिन्दू सोसाइटी संगीता प्रिन्टर्स दिल्ली पृ0 231–233

गुप्ता ए.आर. 1982 : वुमन इन हिन्दू सोसाइटी, ए स्टडी आफ ट्रेडीशन एण्ड ट्रांजेशन, ज्योतिषना प्रकाशन नई दिल्ली।

कामथ, दयानन्द 1951: वुमन इन इण्डियन पोलिटिक्स, ए लॉ की परजेन्स, इन महराष्ट्र वुमन हेराल्ड वाल0 11, नं0–21, जून पृ0 3

कपूर, प्रमिला 1970 : मैरिज एण्ड वर्किंग वुमन, दिल्ली विकास प्रकाशन

कपूर, प्रमिला 1974 : दा चैजिंग स्टेटस आफ दा वर्किंग वुमन इन इण्डिया, दिल्ली विकास प्रकाशन

कौशिक, सुशीला 1993: वुमन एण्ड पंचायतीराज, नई दिल्ली हरआनन्द प्रकाशन

कुमार अशोक 1990 : वुमन पार्टीसिपेशन इन लोकल इंस्टीटयूशन, इन डबलपिंग वुमन इन चिल्र्डेन इन इण्डिया (ed) नई दिल्ली, कामनवेल्थ प्रकाशन पृ0 15–82

लीमा, डी0 हैजल 1983 : वुमन इन लोकल गर्वमेन्ट, कनसेप्ट नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा पी0 1981: पार्टीसिपेशन आफ वुमन इन पंचायती राज, ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू आईसीएसएसआर नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा, पी0 1989: वुमन इन पंचायती राज स्ट्रक्चर, जैन प्रकाशन नई दिल्ली

मणिकक्यम्बा, पी0 1990: वुमन प्रेजीडिंग आफिसर एट दा टेरीटरी पालिटिकल लेबल : पेर्टनस आफ इनडेक्शन एण्ड चैलेजिंस इन परफोमेन्स जनरल आफ रूरल डवलपमेन्ट वाल.9, पृ0 993

मिश्रा, एस0एन0 1977 : पेर्टन आफ इमजिंग लीडरशिप इन रूरल इण्डिया, एसोशिएटेड बुक एजेन्सी पटना पृ0 110

नाथ कमला एण्ड सिंह ए एम, 1970 : फिमेल वार्क पार्टीसिपेशन एण्ड इकोनोमिक डवलपमेन्ट, इन इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, मई 23 पृ0840–849

रेड्डी, पी नरसिंहा 1975 : फिमेल वार्क पार्टीसिपेशन–ए स्टडी आफ इन्टरस्टेट डिफरेन्स–ए कोमेन्ट,इन इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली वाल0 10, नं0 23 जून पृ0 902–905

सिंह वी0बी0 1984 : प्रोफाइल आफ पालिटिकल इलीटस इन इण्डिया, रीतू प्रकाशन पृ0 25–26

सेठ, के स्वपन 1985 : इनक्रीजिंग स्टेटस आफ इण्डियन वुमन, योजना वाल0 29 नं0 22 दिसम्बर पृ0 21